संख्या-30 / 2015 / वे0आ0-2-482 / दस-8(मु0स0स0) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 27 मई,2015**

विषय- उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान के उद्योग पर्यवेक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन रू0 2000 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2400 अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान के उद्योग पर्यवेक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन रू0 2000 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2400 अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:--

(1) उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान में विद्यमान उद्योग पर्यवेक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 के स्थान पर वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाये।

(2) उद्योग विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान से इतर अप्राविधिक संवर्ग के मृत घोषित हो चुके उद्योग पर्यवेक्षक के पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत उद्योग पर्यवेक्षक पदधारकों को भी औद्योगिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आस्थान के उद्योग पर्यवेक्षक के समान वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से इस शर्त के अधीन अनुमन्य किया जाय कि इन पदों का भर्ती का स्रोत एवं भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता का स्तर औद्योगिक आस्थान के उद्योग पर्यवेक्षक के समान हो।

2- उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-30/2015/वे0आ0-2-482(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक,एन0आई0सी0,छठां तल, योजना भवन,लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।